कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / माध्य / मा–स / बाल विवाह / 22428 / 2013–18 / 193 दिनांक : 01.03.2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय–माध्यमिक शिक्षा।

विषय :– बाल विवाह रोकथाम हेतु लागू किए गए राज्य रणनीति एवं कार्य योजना के तहत शिक्षा विभाग की ओर से की जाने वाली अल्पकालिक गतिविधियों की प्रगति बाबत्।

प्रसंग :– आपका पत्रांक प.24(6) शिक्षा–6 / 2017 दिनांक: 30.01.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में बाल विवाह रोकथाम हेतु लागू किएं गए राज्य रणनीति के तहत शिक्षा विभाग की ओर से की जाने वाली अल्पकालिक गतिविधियों एवं कार्य योजना के तहत वर्ष 2018–199 की कार्य योजना हेतु निम्नानुसार कार्य करवाना सुनिश्चित करावें :–

1. विवाह के प्रत्येक सावे के दौरान संस्था प्रधान बाल विवाह के सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखेगे तथा कोई भी प्रकरण ध्यान में आते ही प्रशासन को सूचित करेगें।
2. शाला की दिवारो पर इस बाबत चित्र व स्लोगन लिखवाये जा सकते हैं।
3. शनिवारीय बाल सभा में बाल विवाह तथा कन्या भ्रूर्ण आदि के सम्बन्ध में चेतना पूर्ण उद्‌बोधन दिया जाना प्रस्तावित।
4. विद्यालयों, जिला तथा राज्य स्तर पर होने वाली वाद–विवाद व चित्रकला प्रतियोगिताओं में बाल विवाह की कुरीति को विषय के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

उक्त सम्बन्ध में अधीनस्थ विद्यालयों को निर्देश दिये गये है।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–6)विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

:\Genral letter.docx